



प्रेस विज्ञप्ति



कार्यालय पुलिस अधीक्षक जनपद महाराजगंज-दिनांक जून 26, 2022

यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध की गयी कार्यवाही एवं संदिग्धों की चेकिंग- जनपदीय पुलिस द्वारा अपराध एवं अपराधियों पर प्रभावी नियन्त्रण बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थाना क्षेत्रों में भिन्न-भिन्न स्थानों पर दो पहिया वाहनों व संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गयी। चेकिंग के दौरान दो पहिया वाहनों पर तीन सवारी, बिना हेलमेट लगाये, बिना अनुज्ञप्ति, सवारी गाडियों में क्षमता से अधिक सवारी बैठाने पर व तेज गति से वाहन चलाते समय तथा यातायात नियमों का उल्लंघन करने पर 295 वाहनों का चालान किया गया तथा 08 वाहन से ₹0 8000/- का समन शुल्क वसूल किया गया।

शान्ति भंग की आशंका के मद्देनजर पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- जनपदीय पुलिस द्वारा विभिन्न मामलों में शान्ति भंग की आशंका व भविष्य में शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने हेतु जनपद के विभिन्न थानों से कुल- 79 व्यक्तियों को अन्तर्गत धारा-151/107/116 सीआरपीसी में गिरफ्तार कर चालान न्यायालय किया गया तथा भारी से भारी जमानत मुचलके से पाबन्द कराया।

पैदल गश्त अभियान- श्रीमान् पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे पैदल गश्त अभियान के तहत जनपद पुलिस के सभी प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्ष द्वारा अपने-अपने थाना क्षेत्रों में अलग-अलग टीम बनाकर पैदल गश्त अभियान को जारी रखते हुए दुकानदारों, व्यापारियों तथा आम जनता से सम्पर्क स्थापित किया गया तथा उनकी समस्या सुनी गयी। कस्बा में स्थित चौराहों, सड़क की पटरियों, भीड़-भाड़ वाले स्थानों को अतिक्रमण मुक्त करने में पुलिस का सहयोग करने को कहा गया। जिससे चौराहों व भीड़-भाड़ वाले स्थानों पर यातायात सुगम हो सके।

आबकारी अधिनियम में की गयी कार्यवाही

***थाना कोल्हुई पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही*-** अभियुक्ता आरती पत्नी संदीप नि0 मैनहवा थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 94/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना नौतनवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. रामदास पुत्र श्रीराम नि0 चकदह थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 05 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 114/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व 2. अभियुक्त रामदास पुत्र भगेलू नि0 कौला अजगरहां थाना कोल्हुई जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 115/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में व 3. अभियुक्त रामकेवल राजभर पुत्र गणेश नि0 चखना चौराहा थाना नौतनवां जनपद महाराजगंज के कब्जे से 10 लीटर कच्ची शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 116/22 धारा 60(1) आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना निचलौल पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता 1. दुर्गावती देवी पत्नी मुन्ना नि0 बजहा उर्फ अहिरौली थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 50 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 303/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त 2. रामसुचित पुत्र गुल्ली नि0 लक्ष्मीपुर थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे से 25 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 304/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त 3. रवि कुमार पुत्र भगवान नि0 लक्ष्मीपुर थाना घुघली जनपद महाराजगंज के कब्जे 25 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 305/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में व अभियुक्त 4. रामानन्द कुशवाहा पुत्र गनपत नि0 बनकटी थाना निचलौल जनपद महाराजगंज के कब्जे से 15 शीशी नेपाली शराब बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 306/22 धारा 60/63 आबकारी अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गुण्डा अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना सोनौली पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही-* अभियुक्त 1. मुल्ला उर्फ याकूब पुत्र सत्तार 2. फिरोज पुत्र गफ्फार 3. इमरान पुत्र गफ्फार 4. मो0 जमा पुत्र जफ्फार 5. भगेलू पुत्र बेचू 6. लुम्नन पुत्र मुंशरीफ 7. देवा उर्फ भीम प्रकाश पुत्र श्रीराम नि0 गण शेष फरेन्दा थाना सोनौली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

थाना पनियरा पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्तगण 1. जमशेद पुत्र जब्बार नि0 2. मनोज सिंह पुत्र उदयशंकर नि0 सतगुर 3. हिमांशु मद्धेशिया पुत्र शिवदास नि0 गांगी बाजार 4. शिव पुत्र स्व0 बिजली नि0 कुंआचाप 5. रामभजन पुत्र स्व0 दुलारे 6. रामबचन पुत्र स्व0 दुलारे नि0 कुंआचाप 7. राजू पुत्र गंगा नि0 कुंआचाप थाना पनियरा जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना पनियरा पर मु0अ0सं0 निल//22 धारा 3/4 गुण्डा अधिनियम में पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की गयी।

कस्टम अधिनियम में की गयी कार्यवाही-

थाना परसामलिक पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही 03 बोरी यूरिया खाद बरामद कर थाना परसामलिक पुलिस द्वारा अज्ञात के विरुद्ध मु0अ0सं0 निल/22 धारा 11 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

थाना बरगदवां पुलिस द्वारा की गयी कार्यवाही- अभियुक्त 1. सरल रौनियार पुत्र रविदास साकिन छितौनी बाजार थाना हनुमानगंज जनपद कुशीनगर 2. शिबू पुत्र सलीम खान साकिन पिपरा थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज 3. सूरज रौनियार पुत्र मुनु रौनियार साकिन पिपरा थाना बरगदवा जनपद महाराजगंज के कब्जे से 14 बोरी यूरिया खाद व 03 अदद मोटरसाईकिल बरामद कर थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0 निल/22 धारा 10 कस्टम अधिनियम में पंजीकृत कर चालान किया गया।

सार्वजनिक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम में की गयी कार्यवाही- अभियुक्ता मनोरमा पटेल पत्नी संजय पटेल नि0 बैकुण्ठपुर वार्ड नं0 04 थाना कोतवाली जनपद महाराजगंज के विरुद्ध थाना कोतवाली पर मु0अ0सं0 249/22 धारा 3/5 सा0 स0 क्ष0 नि0 अधि0 में कार्यवाही की गयी।

विवेचनाओं का निस्तारण- पुलिस अधीक्षक महाराजगंज द्वारा चलाये जा रहे अभियान के क्रम में जनपद के विभिन्न थानों द्वारा गुण-दोष के आधार पर विवेचना की कार्यवाही करते हुए कुल- 19 विवेचनाओं का निस्तारण किया गया।

जनपद में 25/26.06.2022 को विभिन्न अपराधों में कुल- 87 अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी।